(1)

कार्यालय अंचल अधिकारी बेंगाबाद

आदेश फलक

वाद का प्रकारः– विविध वाद

विविध वाद सं0:– 01/2024–25

मुन्नालाल यादव
पिता– रेवा महतो
ग्राम–मोतीलेदा
बनाम्
बालदेव प्रसाद यादव वगै0
थाना' बेंगाबाद।

C.C. Issued 21/9/24

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई

12-07-24

इस अभिलेख की कार्रवाई थाना दिवस वाद सं0 124/132 दिनांक 04.05.23 को स्थानांतरण कर विस्तृत जॉच प्रतिवेदन हेतु इस कार्यालय के न्यायालय में लाया गया जिसके आधार पर उभय पक्षों का विवादित भूमि मौजा मोतिलेदा थाना नं0 56 खाता 72 प्लॉट 4075 रकवा 2.80ए0 भूमि का जॉच प्रतिवेदन संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से मांग करें एवं उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर विवादित भूमि का राजस्व कागजात की मॉग करें।
अभिलेख दिनांक 20.07.24 को रखें।

(हस्ताक्षर) 12/7/24

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

20-07-24 अभिलेख उपस्थापित।नोटिस का तामिला प्रति प्राप्त।

उभय पक्ष अपने–अपने राजस्व कागजात के साथ उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक–सह–अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के साथ थाना दिवस हेतु दोनों पक्षों के नाम से निर्गत नोटिस की छाया प्रति प्राप्त है।

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विवादित भूमि मौजा मोतीलेदा थाना नं0 56 खाता 72 प्लॉट 4075 रकवा 2.80ए0 से संबंधित है जो सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत भूमि का प्लॉट न0 4075 में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से भूमि बन्दोबस्ती दिया गया जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0	खाता	प्लॉट	रकवा	बन्दोबस्ती प्राप्त रैयत का नाम एवं पिता का नाम
1	72/262	4075/4880	50डी0	चांदो महतो वल्द दयाल महतो
2	72/263	4075/4881	12डी0	गुलाब राणा वल्द नारायण राणा
3	72/317	4075/4882	14डी0	बुधू राणा वल्द केवल राणा
4	72/309	4075/4884	37डी0	किरत महतो वल्द चोवा महतो
कुल रकवा			1.13ए0	

स्थल जॉच के क्रम में प्रथम पक्ष द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 2840 वर्ष 1970 की अभिप्रमाणित प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसका अवलोकन से यह प्रतीत होता हैं कि चन्देश्वरी प्रसाद नारायण देव ने अपनी पत्नी चन्द्रावती देवी को मौजा मोतीलेदा थाना नं0 56 खाता नं0 72/365A प्लॉट नं0 4034/5086 एवं अन्य दो प्लॉट रकवा 15.00ए0 भूमि विक्री की है।

जॉच प्रतिवेदन के साथ प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत **क,ख,ग एवं घ** की छाया प्रति के अनुसार प्रतीत होता है कि कुवर चन्द्रेश्वरी प्र0 नारायण देव पिता महाराजा इश्वरी प्रसाद नारायण देव राजधनवार को महाराजा इश्वरी प्रसाद नारायण देव से बन्दोबस्ती द्वारा 153.27ए0 भूमि प्राप्त हुआ था। जिसके अन्तर्गत रकवा 80.20ए0 भूमि विभिन्न व्यक्तियों का प्रपत्र (ख)मे केताओं का विस्तृत विवरण अंकित है। जिसके पश्चात शेष 69.09ए0 भूमि भू–धारी के नाम से बचा हुआ अंकित है।

(2)

अभ्युक्ति में जमाबंदी रैयत चन्द्रेश्वरी प्रसाद नारायण देव ने रजिस्ट्री केवाला सं0 2840 दिनांक 04.02.1970 के द्वारा प्लॉट सं0 4034,4075 एवं 1406 में कुल रकवा 15:00ए0 जमीन अपनी पत्नी चन्द्रावती देवी को विक्री किया है जिसका दाखिल खारिज नही हुआ है। क्रेता चन्द्रावती देवी के नाम से प्लॉट 4034 रकवा 8.93ए0 प्लॉट 4075 रकवा 1.67ए0 एवं प्लॉट 1406 रकवा 4.40ए0 कुल रकवा 15:00ए0 जमीन अपनी पत्नी चन्द्रावती देवी को विक्री किया है जिसका दाखिल–खारीज नहीं हुआ हैं। क्रेता चन्द्रावती देवी पति चन्द्रेश्वरी प्र0 नारायण देव के नाम से प्लॉटवार प्लॉट सं0 4034 रकवा 8.93ए0 प्लॉट सं0 4075 रकवा 1.67ए0 एवं प्लॉट सं0 1406 रकवा 4.40ए0 कुल 15.00ए0 दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित भूमि की विवरणी से स्पष्ट होता है कि प्लॉट 4075 सर्वे रकवा 2.80ए0 के मध्ये 1.13ए0 भूतपूर्व जमींदार द्वारा चार रैयतों को बन्दोबस्ती दी गई है एवं शेष रकवा 1.67ए0 भूमि चन्द्रावती देवी को निबंधित दस्तावेज सं0 2840 दिनांक 04.02.1970 द्वारा विक्री की गई है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुसार निबंधित दस्तावेज सं0 27453 दिनांक 25.11.1974 से किरत महतो के द्वारा रेवा महतो को विक्री किया गया है। विक्री की गई भूमि किरत महतो को भूत–पुर्व जमीन्दार से बन्दोबस्ती प्राप्त है। जिसके अनुसार क्रेता का वरिशान प्रथम पक्ष के मुन्नालाल यादव है जो स्वंय आवेदक भी है। जो अपने पिता के खरदीगी भूमि वादगत प्लॉट 4075/4884 रकवा 37डी0 भूमि पर दावा करते है जिसका जमाबंदी पंजी II के भाग सं0 10 पृष्ठ सं0 103 पर रेवा महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज होकर लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है।

द्वितीय पक्ष के बालदेव प्र0 यादव पिता जगदीश महतो एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अनुसार प्रतीत होता हैं कि अनिबंधित हुकुमनाम दिनांक 20.09.1938 ई0 बाबूलाल महतों वो जगदीश महतो वल्द कन्हाय महतों को वादगत प्लॉट 4075 रकवा 62 डी0 तथा अन्य प्लॉट कुल रकवा 1.55 ए0 की बन्दोबस्ती प्राप्त होने का दावा करता है। जिसका कबुलिअतनामा देखन से स्पष्ट होता है कि कुल रकवा शब्द में **एक एकड़ पन्द्रह डिसमील** दर्ज है। जो प्लॉट सं0 4075 में प्रथम दृष्टया स्पष्ट लिप्तलेखन एवं ओवरराटिंइग है जिसका जमाबंदी पजी II के भाग सं0 11 पृष्ठ सं0 85 पर दर्ज है द्वितीय पक्ष के पूर्वज चांदों महतो के नाम से खाता 72/174,262 रकवा 50डी0 लगान 0.19रू0 की भी जमाबंदी पंजी II के भाग सं0 10 पृष्ठ 47 पर दर्ज है जो भूत–पुर्व जमीन्दार द्वारा खाता नं0 72/262 प्लॉट 4075/4880 रकवा 50डी0 भूमि से मेल करता है जिसके अनुसार प्लॉट नं0 4075 रकवा 62डी0 की दावा की जाने वाली भूमि लिप्त लेखन एव ओवरराइटिंग से स्पष्ट फर्जी प्रतीत होता है। क्योंकि अंक में 1.55ए0 एवं शब्दो में एक एकड़ पन्द्रह डिसमील है जबकि कबुलिअत हाजा पट्टा में दर्ज रकवा की जोड़ का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंक में 1.55ए0 एवं शब्दो में एक एकड़ पन्द्रह डिसमील ही है।

प्रथम पक्ष के मुन्नालाल यादव के पिता रेवा महतो ने बन्दोबस्ती प्राप्त रैयत किरत महतो से मौजा मोतिलेदा खाता 72/309 प्लॉट नं0 4075/4884 रकवा 37डी0 निबंधित केवाला सं0 27453 दिनांक 25.11.74 से क्रय किया हैं। जिसका जमाबंदी पंजी II के भाग सं0 10 पृष्ठ से 103 पर क्रेता के नाम से कायम है।

द्वितीय पक्ष के विवादित भूमि प्लॉट 4075 रकवा 62डी0 जो अंकित प्लॉट में लिप्तलेखन कर ओवरराइटिंग किया गया है जिसके साथ प्लॉट नं0 4034 रकवा 48डी0 प्लॉट सं0 4076 रकवा 13डी0 एवं प्लॉट सं0 1421 रकवा 32डी0 कुल रकवा 1.55ए0 भूमि अंक में है जबकि शब्दों में **एक एकड़ पन्द्रह डिसमील** जो कबुलियता हाजा पट्टा में भी सामान्य प्रकार से अंक एव शब्दों में छेड़–छाड अंकित पाया गया है।जिसकी जमाबंदी पंजी II के भाग सं0 11 पृष्ठ सं0 85 पर दर्ज है जबकि विवाद का कारण सिर्फ प्लॉट 4075 रकवा 62डी0 को लेकर है। प्लॉट सं0 4075 में लिप्तलेखन कर ओवरराइटिंग स्पष्ट प्रतीत होता है वर्ष 1960–61 से 61–62 तक की लगान रसीद की छायाप्रति के

अनुसार रसीद नं0 349970 प्रस्तुत किया है। जो संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम पक्ष द्वारा DECREE IN ORIGINAL SUIT में जमाबंदी/बन्दोबस्ती प्राप्त रैयत कन्हाय महतो पिता भोली महतों, बाबुलाल महतो,जगदीश महतो पेसर नाबालिक कन्हाय महतो, जगदीश महतों पेसर नाबालिक दर्ज है मसो0 चौहनी महतवाईन जौजे नन्हकु महतो एवं गांगो महतो पेसर नाबालिक नन्हकु महतो का नाम दर्ज है इसलिए नाबालिक व्यक्ति को भूमि बन्दोबस्त प्राप्त होना उचित प्रतीत नही होता है जिसपर प्रथम पक्ष ने भी आपति जतायी है।

उक्त जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष का कागजात अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के पिता रेवा महतो के द्वारा बंदोबस्त प्राप्त रैयत किरत महतो से निबंधित केवाला के द्वारा भूमि क्रय किया है जिसकी जमाबंदी पुरानी पंजी II के पृष्ठ सं0 324 पर विक्रेता किरत महतो के नाम से दिनांक 24.01.1955 ई0 को ही जमाबंदी कायम है जिसकी लगान रसीद नं0 535016 वर्ष 1955–56 से 61–62 तक दर्ज है। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष मुन्नालाल यादव पिता रेवा महतो का दावा सही प्रतीत होता है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक को अंचल निरीक्षक के माध्यम से द्वितीय पक्ष के बालदेव प्रसाद यादव वगै0 के नाम से कायम संदिग्ध/सदेहास्पद जामबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव की मांग करें।

इस निर्णय से अस्तुंष्ट पक्षकार सक्षम न्यायलय जा सकते है।

लेखापित/संशोधित

Priy 20/7/24

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

Priy 20/7/24

अंचल अधिकारी,
बेगाबाद।

Digitally signed by PRIYANKA PRIYADARSHI
Date: 2025.04.22 15:11:17 +05:30
Location: 192.168.137.1